



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062025-264053
CG-DL-E-23062025-264053

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 2025/आषाढ़ 2, 1947

No. 359]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 2025/ASADHA 2, 1947

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2025

सा.का.नि. 402 (अ).— केन्द्रीय सरकार, मेट्रो रेल (दावों की प्रक्रिया) नियम, 2017 को संशोधित करने के लिए मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 53 की उप-धारा (3) और धारा 57 के साथ पठित, धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (iii) और धारा 100 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मेट्रो रेल (दावों की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- मेट्रो रेल (दावों की प्रक्रिया) नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में -
(1) नियम 17 में -
(क) उप-नियम (2) में, "चार लाख" शब्दों के स्थान पर, "आठ लाख" शब्द रखे जाएंगे;
(घ) उप-नियम (3) में, "अस्सी हजार" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख साठ हजार" शब्द रखे जाएंगे।
(2) मूल नियम के नियम 18 में, "पांच लाख" शब्दों के स्थान पर, "आठ लाख" शब्द रखें जाएंगे।
3. मूल नियमों की द्वितीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

“दूसरी अनुसूची
(नियम 17 देखिए)
मृत्यु और क्षतियों के लिए संदेय प्रतिकर
भाग 1

क्र. सं.	क्षति की प्रकृति	प्रतिकर की रकम (रु. में)
(1)	(2)	(3)
1.	मृत्यु के लिए	8,00,000

भाग 2

क्र.सं.	क्षति की प्रकृति	प्रतिकर की रकम (रु. में)
(1)	(2)	(3)
1.	दोनों हाथों की हानि अथवा उच्चतर स्थानों पर विच्छेदन के लिए	8,00,000
2.	एक हाथ और एक पाद की हानि के लिए	8,00,000
3.	टांग या उरु से दोहरा विच्छेदन या एक और टांग या उरु के विच्छेदन और दूसरे पाद की हानि के लिए।	8,00,000
4.	दृक् शक्ति की इस विस्तार तक की हानि के लिए कि दावेदार ऐसा कोई काम करने में असमर्थ हो जाता है जिसके लिए दृक् शक्ति आवश्यक है	8,00,000
5.	चेहरे की बहुत गंभीर विद्वपता के लिए	8,00,000
6.	पूर्ण बधिरता के लिए	8,00,000

भाग 3

क्र. सं.	क्षति की प्रकृति	प्रतिकर की रकम (रु. में)
(1)	(2)	(3)
1.	स्कंध संधि से विच्छेदन के लिए	7,20,000
2.	स्कंध से नीचे से विच्छेदन के लिए जब के स्थूणक अंसूकट के सिरे 8 इंच से कम	6,40,000
3.	अंसूकट सिरे से आठ इंच से कूर्पर के सिरे के नीचे से साढ़े चार इंच से कम तक के से विच्छेदन के लिए	5,60,000
4.	एक हाथ की या एक हाथ के अंगूठे की और चारों अंगुलियों की हानि या खुर पर के सिरे से साढ़े चार इंच से नीचे तक के से विच्छेदन के लिए	4,80,000
5.	अंगूठे की हानि के लिए	2,40,000
6.	अंगूठे की और उसकी करभ-अस्थि की हानि के लिए।	3,20,000
7.	एक हाथ की चार अंगुलियों की हानि के लिए	4,00,000
8.	एक हाथ की तीन अंगुलियों की हानि के लिए	2,40,000
9.	एक हाथ की दो अंगुलियों की हानि के लिए	160,000
10.	अंगूठे की अंतिम अंगुलि-अस्थि की हानि के लिए	160,000

11	दोनों पादों के विच्छेदन के लिए जिसके परिणामस्वरूप अंतांग मात्र रह जाए	7,20,000
12.	प्रपदांगुलि अस्थि संधि के निकट से दोनों पादों के विच्छेदन के लिए	6,40,000
13.	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि से दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	3,20,000
14.	निकटस्थ अंतरांगुलि-अस्थि संधि के निकट दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	2,40,000
15.	निकटस्थ अंतरांगुलि-अस्थि संधि से दूर दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	1,60,000
16.	नितंब पर विच्छेदन के लिए	7,20,000
17.	नितंब से नीचे विच्छेदन के लिए जब कि बहुत उरु-अस्थि के सिरे से नापे जाने पर पांच इंच से अधिक लंबा न हो	6,40,000
18 .	नितंब से नीचे विच्छेदन के लिए जब कि बहुत उरु-अस्थि के सिरे से नापे जाने पर पांच इंच से अधिक लंबा हो किंतु मध्योरु से आगे न हो	5,60,000
19.	मध्योरु के नीचे से घुटने के साथ तीन इंच तक नीचे के विच्छेदन के लिए	4,80,000
20.	घुटने के नीचे विच्छेदन के लिए जबकि स्थूणक 3/12 इंच से अधिक हो किंतु 5 इंच से अधिक न हो	4,00,000
21.	अधरांगधात के साथ मेरुदंड का अस्थिभंग	4,00,000
22.	घुटने के नीचे विच्छेदन जब कि स्थूणक 5 इंच से अधिक हो	3,20,000
23.	नेत्र की हानि के लिए जब कि कोई अन्य उपद्रव न हो और दूसरा नेत्र प्रसमान्य हो	3,20,000
24.	एक पाद के विच्छेदन के लिए जिसके परिणाम स्वरूप अन्तांग मात्र रह जाए	2,40,000
25.	प्रपदांगुलि अस्थि संधि के निकट से एक पाद के विच्छेदन के लिए	2,40,000
26.	अधरांगधात के बिना मेरुदंड का अस्थिभंग	2,40,000
27.	एक नेत्र की दृष्टि की हानि जब कि नेत्रगोलक में उपद्रव या विद्रपता; न हो और दूसरा नेत्र प्रसमान्य हो	2,40,000
28.	प्रपदांगुलि अस्थि संधि से एक पाद की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	1,60,000
29.	नितंब के जोड़ का अस्थि भंग	1,60,000
30.	मुख्य अस्थि - दोनों अंगों की ऊर्वारिथ, अंतर्जाधिका का अस्थि भंग	1,60,000
31.	मुख्य अस्थि - दोनों अंगों की प्रगणिडका, रेडियस का अस्थि भंग	1,20,000
32.	पेल्विस का अस्थिभंग जिसमें जोड़ अंतर्वलित नहीं है	80,000
33.	मुख्य अस्थि - एग अंग की ऊर्वास्थि, अंतर्जाधिका का अस्थि भंग	80,000
34.	मुख्य अस्थि - एक अंग की प्रगणिडका, रेडियस और अलना का अस्थि भंग	64,000

[फा. सं. के-14011/10/2024-एमआरटीएस-II]

जयदीप, विशेष कार्य अधिकारी (शहरी परिवहन)

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 353(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2017 में प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2025.

G.S.R. 402(E).— In exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (2) of section 56 and clause (d) of sub-section (2) of section 100 read with sub-section (3) of section 53 and section 57 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Metro Railways (Procedure of Claims) Rules, 2017, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Metro Railways (Procedure of Claims) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Metro Railways (Procedure of Claims) Rules, 2017 (hereinafter referred to as the principal rules).-

(1) In rule 17 .-

(a) in sub-rule (2), for the words “four lakh”, the words “eight lakh” shall be substituted;

(b) in sub-rule (3), for the words “eighty thousand”, the words “one lakh sixty thousand” shall be substituted.

(2) In rule 18 of the principal rules, for the words “five lakh”, the words “eight lakh” shall be substituted.

3. For the Second Schedule of the principal rules, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“The Second Schedule
(see rule 17)
COMPANSATION PAYABLE FOR DEATH AND INJURIES
PART I

Sr. No.	Nature of Injury	Amount of Compensation (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	For death	8,00,000

PART II

Sr. No.	Nature of Injury	Amount of Compensation (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	For loss of both hands or amputation at higher sites	8,00,000
2.	For loss of hand and a foot	8,00,000
3.	For double amputation through leg or thigh or amputation through leg or thigh on one side and loss of other foot.	8,00,000
4.	For loss of sight to such an extent as to render the claimant unable to perform any work for which eye sight is essential	8,00,000
5.	For every severe facial disfigurement	8,00,000
6.	For absolute deafness	8,00,000

PART III

Sr. No.	Nature of Injury	Amount of Compensation (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	For amputation through shoulder joint	7,20,000
2.	For amputation below shoulder with stump less than 8" from tip of acromion	6,40,000
3.	For amputation from 8" from tip of acromion to less than 4½" below olecranon	5,60,000
4.	For loss of a hand or the thumb and four fingers of one hand of amputation from 4½" below space tip of olecranon	4,80,000
5.	For loss of thumb	2,40,000
6.	For loss of thumb and its metacarpal bone	3,20,000
7.	For loss of four fingers of one hand	4,00,000
8.	For loss of three fingers of one hand	2,40,000
9.	For loss of two fingers of one hand	160,000
10.	For loss of terminal phalanx of thumb	160,000
11.	For amputation of both feet resulting in end-bearing stumps	7,20,000
12.	For amputation of both feet proximal to the metatarsophalangeal joint	6,40,000
13.	For loss of all toes of both feet through the metatarsophalangeal joint	3,20,000
14.	For loss of all toes of both feet proximal to the proximal interphalangeal joint	2,40,000
15.	For loss of toes of both feet distal to the proximal interphalangeal joint	1,60,000
16.	For amputation at hip	7,20,000
17.	For amputation below hip with stump not exceeding 5" in length measured from tip of great trechanter but not beyond middle thigh	6,40,000
18.	For amputation below hip with stump exceeding 5" in length measured from tip of great trechanter but not beyond middle thigh	5,60,000
19.	For amputation below middle thigh to 3½" below knee	4,80,000
20.	For amputation below knee with stump exceeding 3½ " but not exceeding 5"	4,00,000
21.	Fracture of spine with paraplegia	4,00,000
22.	For amputation below knee with stump exceeding 5"	3,20,000
23.	For loss of one eye without complications the other being normal	3,20,000
24.	For amputation of one foot resulting in end-bearing	2,40,000
25.	For amputation through one foot proximal to the metatarsophalangeal joint	2,40,000
26.	Fracture of spine without paraplegia	2,40,000
27.	For loss of vision of one eye without complication of disfigurement of eye ball, the other being normal	2,40,000
28.	For loss of all toes of one foot through the metatarphalangeal joint	1,60,000
29.	Fracture of hip-joint	1,60,000
30.	Fracture of Major-Bone-Femur, Tibia of both limbs	1,60,000
31.	Fracture of Major-Bone-Humerus, Radius of both limbs	1,20,000

32.	Fracture of Pelvis not involving joint	80,000
33.	Fracture of Major Bone-Femur, Tibia of one limb	80,000
34.	Fracture of Major Bone-Humerus, Radius Ulna of one limb	64,000

”

[F. No. K-14011/10/2024-MRTS-II]
JAIDEEP, Officer on Special Duty (UT)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 353(E), dated the 11th April, 2017.